राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(100)परि/कर/मु./11 149802 जयपुर, दिनांक :– 5/6/14

कार्यालय आदेश संख्या ..16../2014

विषय :–वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के पंजियन एवं कर निर्धारण के संबंध में दिशा–निर्देश देने के संबंध में।

विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए परिवहन कार्यालयों में अलग–अलग कार्यप्रणाली अपनाकर पंजियन एवं कर आरोपण किया जाता है। इससे वाहन स्वामियों में वाहन के कर के संबंध में भ्रान्ति रहती है तथा वाहन के सही श्रेणी में पंजियन ना होने पर राजस्व हानि की संभावना भी बनी रहती है। वाहनों पर आरोपित कर के संबंध में विभिन्न ऑडिट पैरा भी बने है।

अतः विभिन्न तरह के वाहनों का निर्धारित श्रेणीनुसार पंजियन करने एवं कर आरोपण के संबंध में परिवहन कार्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त करने एवं कार्य में एकरूपता लाने के उद्देश्य से निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि–

1. डम्पर वाहन को परिवहन यान अथवा निर्माण उपसंकर (construction equipment) की श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 2(c.a.) के अनुसार डम्पर के On/Off Highway संचालन एवं वाहन की अधिकतम गति 50 कि.मी./घण्टा होने पर ही निर्माण उपसंकर (construction equipment) की श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि अनेक कार्यालयों में डम्पर वाहन के उक्त शर्ते पूरी नही होने पर भी बगैर परीक्षण किये इसे construction equipment vehicle की श्रेणी में पंजीकृत कर दिया जाता है तथा तदानुसार ही कर आरोपित किया जाता है। इससे राजस्व की हानि होती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त शर्तों की पालना पर ही डम्पर वाहन को construction equipment vehicle की श्रेणी में पंजीकृत किया जावें अन्यथा इसे भार–वाहन की श्रेणी में पंजीकृत किया जाकर देय वार्षिक–कर/लमसम टैक्स वसूल किया जावें।
2. ट्रक/ट्रक चैसिस पर माउण्टेड कंकरीट ट्रान्सिट मिक्सर केवल प्री–मिक्स कंकरीट के परिवहन में उपयोग किया जाता है। ऐसे वाहनों को भार–वाहन की श्रेणी में ही पंजीकृत किया जा सकता है क्योकि यह वाहन construction equipment vehicle की परिभाषा मे वर्णित कान्क्रीट मिक्सर नहीं है तथा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आवश्यक शर्तों को पूर्ण नही करता है। ट्रक पर माउण्टेड कंकरीट मिक्सर का वाहन construction equipment vehicle की श्रेणी में पंजीकृत किया जाने

से राजस्व की हानि होती है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ट्रक/चैसिस पर माउण्टेड कंकरीट मिक्सर को भार–वाहन की श्रेणी में पंजीकृत किया जाकर देय वार्षिक–कर/लमसम टैक्स ही वसूल किया जावें।

3. ऐसे वाहन जो अन्य राज्य से प्रदेश में प्रवेश करते है उनसे निम्न प्रकार से देय–कर वसूल किया जा सकता है –

   क. अन्य राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहन जो किसी अन्य वाहन पर लोड होकर राज्य की सीमा में प्रवेश करते है तथा बिना उपयोग किए दूसरें राज्य मे चले जाते है पर कोई कर देय नही है। इसके लिए वाहन की बिल्टी से वाहन के राज्य में प्रवेश एवं निकास तथा वाहन के राज्य में उपयोग के संबध में आवश्यक साक्ष्य देखे जा सकते है।

   ख. अन्य राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहन जो एन.ओ.सी. लेकर पुनः पंजीयन की मंशा से राज्य में उपयोग के लिए लाए जाते है, को राज्य की सीमा पर स्थित कर संग्रह केन्द्रों पर नियमानुसार कर देय होगा। तत्पश्चात वाहन स्वामी को संबंधित कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार एक बारीय कर देय होगा। पंजीयन अधिकारी द्वारा कर वसूल किये जाने के बाद इसका नियमानुसार पंजीयन किया जा सकता है।

   ग. अन्य राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहन जो किसी अन्य वाहन पर लोड होकर राज्य की सीमा से बाहर जा रहे हो एवं इनका लदान राजस्थान राज्य में किसी स्थान से किया गया हो तो ऐसे वाहनों के राज्य में हुए उपयोग की अवधि निर्धारित करते हुए कर आरोपित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

   घ. अस्थाई उपयोग के लिए लाए जाने वाले वाहनों पर मासिक कर देय होगा।

4. मोबाइल क्रेन तथा क्रेन माउण्टेड व्हीकल भिन्न–भिन्न श्रेणी के वाहन है। मोबाईल क्रेन construction equipment vehicle श्रेणी का वाहन है। Crane mounted vehicle को केन्द्र सरकार की अधिसूचना S.O. 1248 (E) दिनांक 5 नवम्बर 2004 में दी गई तालिका के कॉलम–2 के क्रम में (viii) पर गैर परिवहन यान श्रेणी में उल्लेखित किया गया है, जिसके लिए परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 1 P दिनांक 09.03.2010 के अनुसार कर आरोपित होता है। क्रेन माउण्टेड व्हीकल की श्रेणी के वाहनों पर विभागीय अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 के अनुसार चेसिस के रूप में क्रय किए जाने पर चेसिस की कीमत का 10 प्रतिशत एव पूर्ण बॉडी के रूप में क्रय किए जाने पर 8 प्रतिशत कर देय होता है वहीं मोबाइल क्रेन को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1988 नियम 2(बं) में उल्लेखित किया गया है। परिभाषानुसार शर्तों की पूर्ति होने पर इसे Construction Equipment Vehicle के रूप में पंजियन किया जाकर विभागीय अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 के अनुसार इस श्रेणी का कर देय होता है।

5. वाहन पर स्थापित equipments जैसे रिंग, जनरेटर अथवा कम्प्रेसर गैर परिवहन श्रेणी के वाहन है इन्हें construction equipment vehicle की श्रेणी के वाहन में नही रखा जा सकता है। ये वाहन vehicle fitted with equipment श्रेणी के गैर परिवहन यान है। अतः इन वाहनों पर विभागीय अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 के अनुसार अनुसार चेसिस के रूप में क्रय किए जाने पर चेसिस की कीमत का 10 प्रतिशत एव पूर्ण बॉडी के रूप में क्रय किए जाने पर 8 प्रतिशत कर देय होता है।
6. वाहनों का भौतिक सत्यापन करते समय उक्त उल्लेखित वाहनों की श्रेणी का निर्धारण केन्द्र सरकार की अधिसूचना S.O. 1248 (E) दिनांक 5 नवम्बर 2004 के अनुसार स्पष्ट रूप से किया जावें।

उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एव
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः– प.6(100)परि/कर/मु./11 149803-9 जयपुर, दिनांक :– 5/6/14

<u>प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

5/6/2014

अपर परिवहन आयुक्त (कर)